BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A NO. 38 /2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 964/2024

SYED MOHAMMAD RASHID		**APPLICANT**
	VERSUS	
STATE OF UTTAR PRADESH & ORS		**RESPONDENTS**

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Filed On Behalf Of District Magistrate, Saharanpur, Uttar Pradesh Along With The Supporting Affidavit.	1-6
2.	**ANNEXURE 1** The detailed inspection report	7-9
3.	**ANNEXURE 2** List of the proceeding	10-14

THROUGH

Priyanka

Date: 09.09.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A NO. 38 /2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 964/2024

SYED MOHAMMAD RASHID		**APPLICANT**
	VERSUS	
STATE OF UTTAR PRADESH & ORS		**RESPONDENTS**

STATUS REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3 – DISTRICT MAGISTRATE, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The answering Respondent, District Magistrate, Saharanpur submits this reply in M.A NO. 38 /2025 in Original Application No. 964/2024
2. That in compliance with the order dated 17.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the above-captioned Original Application, an on-site inspection of Khasra Nos. 271, 272 and 273, Village Tashipur, Pargana Nagal, Tehsil Deoband, District Saharanpur was conducted.

3. The said inspection was carried out under the leadership of Mrs. Monica Chauhan, Deputy Tehsildar, Deoband (Revenue Team In-charge) and Mr. N.M. Tripathi, Assistant Scientist, UPPCB (Pollution Control Team In-charge).

4. Subsequently, on 21.10.2024, a further investigation was undertaken by Mr. Sub-Divisional Magistrate, Deoband and Dr. Yogendra Kumar, In-charge, UPPCB, in pursuance of the instructions given during the earlier on-site inspection. **The detailed inspection report has already been forwarded and is annexed herewith as Annexure- P/1**.

5. It is respectfully submitted that in the said matter, 22 suits under Section 67(1) of the U.P. Revenue Code, 2006 have been instituted before the Court of Tehsildar, Deoband against persons found in illegal occupation of the site. The said proceedings are pending adjudication. **List of the proceeding is annexed herewith and marked as Annexure P/2**.

6. Further, one civil suit being Case No. 32/2025, Mohd. Murtaza S/o Bashir, R/o Village Tashipur vs State of U.P. & Ors., is pending before the Court of Civil Judge (C.D.), Deoband, District Saharanpur, wherein the Collector, Saharanpur and Gram Sabha, Tashipur are arrayed as parties. The Hon'ble Civil Court, vide order

dated 21.05.2025, has directed both parties to maintain status quo with regard to the site in dispute and the next date of hearing is 17/09/2025.

7. That the District Administration is closely monitoring the matter and appropriate legal action is already underway in accordance with the directions of this Hon'ble Tribunal, as well as the orders passed by the Competent Civil and Revenue Courts.

8. The present status report is submitted for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

THROUGH

Priyanka

Date: 09.09.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

Email:advpriyankaswami@gmail.com

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt. Saharanpur Reg. - 8286/10 GOVT. OF INDIA NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A NO. 38 /2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 964/2024

SYED MOHAMMAD RASHID		**APPLICANT**
	VERSUS	
STATE OF UTTAR PRADESH & ORS		**RESPONDENTS**

AFFIDAVIT

I, Manish Bansal, aged about 35 years S/o Ramavtar Bansal is presently posted as District Magistrate Saharanpur, UP. Having its office at Saharanpur.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY PUBLIC Kaleem Ahmad Advocate & Notary Distt. Saharanpur Reg. - 8286/10 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Saharanpur on this 11th sep. day of 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

IDENTIFIED BY
KALEEM AHMAD
Advocate
Reg. No. 10533/01
Ch.-63, Civil Court, SRE
Mob.-9359206239

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg.- 8298/10
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

8/10 3124

This affidavit is made before me to ... at my office ... A.M/P.M
By Shri Manish Bansal s/o Ramavtar Bansal
who is identified by Shri Kaleem Ahmad
The contents of the affidavit have been explained to the deponent who admit to understand them.
Saharanpur
U.P. INDIA
11/9/2025
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

AADHAAR

ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ

Manish Bansal

ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ DOB: 14/01/1990

ਮਰਦ / MALE

ਪਤਾ:

ਸਪੁੱਤਰ: ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 207/ਏ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਨੇੜੇ ਬਾਂਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਸੇਂਟਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ - 148001

Address:

S/O: Ram Avtar Bansal, House Number 207/A, Street Number 2, Near Bansal Hospital and Heart Centre, Dashmesh Avenue, Sangrur, Sangrur, Punjab - 148001

ਆਧਾਰ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

NOTARY PUBLIC
Kaleem Ahmad
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur
Reg. 8256/10
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE-1

क्र0 सं0	कब्जाधारकों का नाम व पता	खसरा न0	क्षेत्रफल (हे0 में)	भूमि की श्रेणी	कब्जे की प्रकृति	उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत योजित वाद की सं0
कब्जाधारको का विवरण						
1	2	3	4	5	6	7
1	शहजाद, शाहनवाज व इखलाख पुत्रगण शब्बीर निवासी ग्राम	273	0.0071	श्रेणी–6(1) जोहड.	पक्का मकान बनाकर	T202409600405984
2	इरशाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम	273	0.0096	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405985
3	अरशद पुत्र यामीन निवासी ग्राम	273	0.0053	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405986
4	इमरान पुत्र मकसूद निवासी ग्राम	273	0.0033	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405987
5	सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी ग्राम	273	0.0041	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405988
6	मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम	273	0.0190	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405989
7	दिलशाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम	273	0.0092	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405990
8	इमरान, इनाम, व इसरार पुत्रगण आबुल हसन निवासी ग्राम	273	0.0773	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405991
		271म	0.0173	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	

	अन्वर पुत्र कुरबान	272	0.0200	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405992
		271म	0.0320	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	
10	जहाँगीर पुत्र मुकददस निवासी ग्राम	271म	0.0114	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405993
11	साजिद पुत्र काजिम निवासी ग्राम	271म	0.0031	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600405994
		271म	0.0079	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	
12	वाजिद पुत्र काजिम निवासी ग्राम	271म	0.0094	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600406005
13	शहजाद, शाहबान व इस्तखार पुत्रगण मुर्तजा निवासी ग्राम	271म	0.0099	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405995
14	मुस्तकीम पुत्र गफूर	271म	0.0112	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405996
15	अब्दुल रऊफ पुत्र इसरार निवासी ग्राम	271म	0.0059	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405997
16	नबाब व आलमगीर पुत्रगण कुरबान निवासी ग्राम	271म	0.0090	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600406004
17	इरफान पुत्र गालिब निवासी ग्राम	271म	0.0085	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405998
18	आदिल पुत्र मुकददस निवासी ग्राम	271म	0.0064	श्रेणी–6(2) गोयरा	पक्का मकान बनाकर	T202409600405999

19	अरशद व रियासत पुत्रगण ताहिर निवासी ग्राम	271म	0.0056	श्रेणी--6(2) गोयरा	कुरडी डाल कर	T202409600406000
20	मुर्तजा पुत्र बशीर निवासी ग्राम	271म	0.0090	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600406001
21	श्रीमति जगीला पत्नी अख्तर	271म	0.0073	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600406002
22	साजिद, कामिल व फईम पुत्रगण इरशाद निवासी ग्राम	271म	0.0030	श्रेणी–6(1) जोहड	पक्का मकान बनाकर	T202409600406003
23	रास्ता	271म	0.0189	श्रेणी–6(1) जोहड	सार्वजनिक रास्ता	
	रास्ता	271म	0.0282	श्रेणी–6(2) गोयरा	सार्वजनिक रास्ता	
	रास्ता	273	0.0391	श्रेणी–6(2) गोयरा	सार्वजनिक रास्ता	
कुल रकबा (271म+273+272)			0.3980			

05.11.2024
अजय प्रताप सिंह
लेखपाल
क्षेत्र-साहनपिंड़ा
त०-देवबन्द जि०

05/11/2024
R.i (B)

05/11/2024
Teh(D)

T.I 04/08/25

30.7.25 वाद पेश हुआ। स्टेट की ओर से अधिवक्ता हाजिर आए। वाद वास्ते सुनवाई प्रा० पत्र 6C2 दि० 04/08/25 को पेश हो। T.I नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।
ACJ (SD)

(OP)
PS
ha. for (P) Ad

04.8.25 वाद पेश हुआ आवेदक की ओर से स्थगन दी गयी। सुनवाई प्रा० पत्र 6C2 दिनांक 14.8.25 को पेश हो। T.I नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा।
CJ (SD)

T.I 14/8

25.8.25 वाद पेश हुआ। अधिवक्ता अवकाश पर दी गयी। सुनवाई प्रा० पत्र 6C2 दिनांक 25.8.25 को पेश हो। T.I नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा।
CJ (SD)

T.I 25/8/25

(OP)

25-8-25 वाद पेश हुआ। आवेदक की ओर से स्थगन दी गयी। सुनवाई प्रा० पत्र 6C2 दि० 17.9.25 को पेश हो। T.I नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा।
CJ (SD)

17/09

T.I (OP)

नकल मांगी गयी 27.8.2025
प्रमाणित

02
11-09-25

ABDUL HADI KHAN
Advocate
R No. 2647/78 D ... -3-1978
Ch No. 45, Civil Court Compound
Deoband Dist. Saharanpur (U.P.)

पक्षी का नाम अब्दुल हादी खान (Adv)
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 11-09-25 ग्यारह सितम्बर 2025
नोटिस का दिनांक 11-09-25
प्राप्ति का दिनांक 11-9-2
30 मुद्रा प्रतिलिपि

सिविल प्रतिलिपि विभाग
देवबन्द
सिविल कोर्ट

न्यायालय अपर सिविल जज सी०डि० देवबन्द
जिला – सहारनपुर
वाद सं० — 32/25
मो० मुर्तजा बनाम यू० पी० स्टेट आदि।
नकल —— आदेश पत्र दिनांकी
14-05-25 से 22-05-25 की
छायाप्रति संलग्न

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0 डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।
उपस्थिति- परविन्दर सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा) आई०डी०- UP 2500
वाद संख्या- 32 / 2025
मौ0 मुर्तजा बनाम यू0 पी0 स्टेट आदि।
14-05-2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रार्थना पत्र 6 ग की सुनवाई हेतु नियत चली आ रही है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा वादी का घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद दिनांक- 17-03-2025 को दायर किया गया था। वाद दायर करने से पूर्व में वादी द्वारा विपक्षीगण को धारा 80 सीपीसी व 106 यू0 पी0 पंचायतराज एक्ट के अंतर्गत नोटिस भी दिया जा चुका है। वाद दायर करने के उपरान्त से ही विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता को वाद की जानकारी है, लेकिन विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा अब तक जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है। अतः उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि अग्रिम नियत दिनांक तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। उभयपक्ष नियत दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। उक्त आदेश अग्रिम नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा। प्रार्थना पत्र 6 ग पर सुनवाई हेतु अंतिम अवसर। यदि कोई भी पक्षकार उपस्थित आकर सुनवाई सुनिश्चित नहीं करता है तो नियमानुसार अग्रिम आदेश पारित किया जायेगा। वादी का स्थगन मान्य नहीं होगा। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र 6 ग दिनांक- 21-05-2025 को पेश हो।

(मुहर: सिविल प्रतिलिपि विभाग देवबन्द सिविल कोर्ट)

14/05/2025

परविन्दर सिंह (UP 2500)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर।

22/5

21/05/25
वाद पेश हुआ अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं वास्ते सुनवाई 6C2 दिनांक 22/5/25 को पेश हो
T.I. नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा
CJ(SD)

Pandu Sikha UPState. OP-1

22/5/25
वाद पेश हुआ अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं वास्ते सुनवाई 6C दिनांक 26/05/25 को पेश हो। T.I. नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा
CJ(SD)

26/5

30/5

नकल कर्ता- 4
मुलना कर्ता- 4
शब्दों की संख्या

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट देवबन्द (सहारनपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पौरूष कुमार वर्मा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल)
चैम्बर नं०-2... , २०७-५
सिविल कोर्ट सहारनपुर
पंजीयन स०-12004/2000
मो० नं०-9258361406

15/1/9/25

अर्थी का नाम: पौरूष कुमार वर्मा
प्रा० पत्र देने का दिनांक 1-9-25 — न्यायिक लिपिक
नोटिस का दिनांक 1-9-25
वापसी का दिनांक 1-9-25
प्र० मुख्य प्रतिलिपिक

राज्य प्रतिलिपि हेतु, श्री अनुज त्यागी

न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०)
देवबंद सहारनपुर

वाद सं०-32/2025

मो० ... बनाम यू०पी० राज्य

जरिये — आदेश दि० 23-7-2025 से
दि० 25-8-2025 तक की कार्यवाही

संलग्न

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0 डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।
उपस्थिति- परविन्दर सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा) आई०डी०- UP 2500
वाद संख्या- 32 / 2025
मौ0 मुर्तजा बनाम यू0 पी0 स्टेट आदि।
23-07-2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०- 15 C 2

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं०- 15 C 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उत्तर पत्र तैयार कराने के लिये प्रार्थी को वाद के नैरेटिव की व सरकारी अभिलेखों की आवश्यकता होती है, जो थोड़ा विलम्ब से प्राप्त हुये और प्राप्त होते ही उत्तर-पत्र तैयार कराकर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के हस्ताक्षर हेतु भेजा गया और प्राप्त होने पर अविलम्ब पत्रापली पर ग्रहित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, विलम्ब सदभावी है, जानबूझ कर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति गें उत्तर पत्र को पत्रावली पर ग्रिहित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी पक्ष बिल्कुल गलत व बनावटी ब्यानात के साथ प्रस्तुत न्यायालय किया गया है, जो हर सूरत में खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी पक्ष को दावा दायर होने के दिनांक से ही वाद हाजा की पूरी-पूरी जानकारी रही तथा दावा दायर होने के दिनांक पर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ए0 डी0 जी0 सी0 महोदय अदालत हाजा में उपस्थित हुए तथा उन्होंने पत्रावली का अवलोकन किया। कानूनन व इंसाफन प्रतिवादी पक्ष को 30 दिवस के भीतर अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए था मगर जानबूझकर देरी करते हुये प्रार्थना पत्र बिना किसी माकूल वजह के बनावटी तथ्यों पर आधारित करते हुये विधि विरूद्ध जवाबदावा दाखिल अदालत किया गया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दवाबदावा प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल दर्शित है। जबकि उक्त जवाबदावे पर एक जगह हस्ताक्षर केवल मौजूद है। प्रतिवादीगण के जवाबदावे मर हस्ताक्षर नहीं है तथा जवाबदावे की तस्दीक पर केवल एक ही प्रतिवादी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/जिला भूमि व्यवस्थाधिकारी सहारनपुर के मात्र एक जगह ही हस्ताक्षर स्पष्ट है कि प्रस्तुत जवाबदावा विधि के मेन्टेडही प्रविधानों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त कारणों से प्रतिवादी पक्ष हर सूरत में खारिज होने योग्य है।

उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय उचतम न्यायालय की सुस्थापित विधि व्यवस्था अवलोकनीय है-
[AIR 2005 SUPREME COURT] Kailash Vs Nanhku & Ors.

सुना एवं अवलोकन किया।

उक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रार्थन पत्र पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद का निस्तारण उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा उक्त जवाबदावा को पत्रावली पर लिये जाने की प्रार्थना की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसंगत है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं0- 15 C 2 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई प्रार्थना पत्र 6 C दिनांक- 30-07-2025 को पेश हो।

23.07.25

परविन्दर सिहं (UP 2500)
अपर सिविल जज (सी०डि०)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanner